



प्रेस नोट

दिनांक 13.08.2025

अभियुक्त के विरुद्ध जिलाबदर की कार्यवाही की गई।

पुलिस अधीक्षक महोदया हमीरपुर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही/प्रभावी पैरवी के क्रम में न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) द्वारा जनपद के थाना जरिया से सम्बन्धित गुण्डा अपराधी को जनपद हमीरपुर की सीमा से 06 माह के लिये निष्कासित/जिलाबदर किया गया है। पारित आदेश में आदेशित किया गया है कि जिलाबदर की अवधि में निष्कासित/जिलाबदर अपराधीगण अपने साथ किसी प्रकार का शस्त्र व अग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेंगे एवं 06 माह की अवधि तक जनपद हमीरपुर की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे तथा बाह्य जनपद में जिस स्थान पर निवास करेंगे उसकी सूचना सम्बन्धित न्यायालय एवं स्थानीय पुलिस को भी देंगे।

जिलाबदर किये गये अभियुक्त का विवरण:-

1.महेन्द्र राजपूत पुत्र बालादीन उर्फ बाला प्रसाद राजपूत निवासी कस्बा चण्डौत थाना जरिया जनपद हमीरपुर, दिनांक 31.07.2025 से 06 माह।